राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या प्रशासकीय प्रशिक्षण खर्चास प्रशासकीय तसेच वित्तीय मान्यता देण्याबाबत व ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) याखाली निधी वितरीत करणेबाबत

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: टीआरएन २०२२/ प्र.क्र.६३/२२/१२-अ

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२ तारीख: १८ मार्च, २०२४

वाचा:-

- 9. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि.२३.९.२०११.
- २. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टिआरएन-२०१४/४४०/प्रक्र.६६/१४/१२-अ, दि.०१.११.२०१४.
- ३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक यशदा-२०१५/१२५५/प्रक्र.२४३/१५/१२-अ, दि.३०.०४.२०१६
- ४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-२०२१/२५५/ प्र.क्र.१०/२१/१२-अ, दि.०६.०७.२०२१
- ५. शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन-२०२२/प्र.क्र.६३/२२/१२-अ, दि.०२.०९.२०२२
- ६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३.
- ७. महासंचालक, यशदा पुणे यांचे क्र. राप्रनिमूयं/२०२३-२४/आर्थिक तरतुद/प्र.क्र.०१-३३२८, दि. २२.१२.२०२३ चे पत्र.

प्रस्तावना:-

महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण घोरण संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार यशदा, पुणे, या संस्थेमध्ये वर्ग १ चे अधिकारी, विभागीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वर्ग २ व वर्ग ३ चे अधिकारी व कर्मचारी व जिल्हा स्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचा-यांना प्रशासकीय प्रशिक्षण देण्यात येते.

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १७०५१ प्रशिक्षणार्थींच्या प्रशिक्षणासाठी रु.२२.२७९६ कोटी इतक्या रकमेच्या प्रशासकीय प्रशिक्षण आराखड्यास संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तथापि, यशदा, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. ७ च्या पत्रानुसार प्रशिक्षण संस्थांनी मंजूर प्रशिक्षण आराखड्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले असल्याने सदर अतिरिक्त प्रशिक्षण खर्चास मान्यता देऊन त्याकरीता निधी वितरित करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार वित्त व नियोजन विभागाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकूण रु.२६.५९९८१५ कोटी (अक्षरी रुपये सव्वीस कोटी, एकोणसाठ लाख, अङ्घाण्ण्व हजार, एकशे पन्नास फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रशिक्षण खर्चास मान्यता देण्यास सहमती दर्शविली आहे. तसेच सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा प्रशिक्षण खर्चाचा उर्वरित निधी रु.४.३२०१९ कोटी (रु.२६.५९९८१५ कोटी – रु.२२.२७९६ कोटी) इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या प्रशिक्षण खर्चास मान्यता देऊन सदर आर्थिक वर्षाचा उर्वरित निधी वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

शासन निर्णय:-

यशदा पुणे, विभागीय तसेच जिल्हास्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांनी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत खालील विवरण पत्रात नमूद केल्यानुसार एकूण २७,४३३ प्रशिक्षणार्थींच्या प्रशासकीय प्रशिक्षणाकरिता परिगनणेनुसार रु. २६.५९९८१५ कोटी (अक्षरी रुपये सव्वीस कोटी, एकोणसाठ लाख, अट्ट्याण्ण्व हजार, एकशे पन्नास फक्त) इतका खर्च केला असून सदर खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे.

| A | यशदास्तरा | त्ररील प्रशास | कीय प्रशिक्षण | ग कार्यक्रम | (१ एप्रिल २०२ | १२ ते ३१ मा | र्व २०२३) |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|
| अ. | प्रशिक्षणाचा प्रकार | प्रशिक्षण | Online/ | प्रशिक्षण | प्रशिक्षणार्थी | एकूण | खर्च |
| क्र | | कालावधी | In- | शुल्क | साध्य | प्रशिक्षण | (रु. कोटीत) |
| | | (दिवस) | class/ | | | दिवस | |
| | | | Blended | | | | |
| 8 | २ | ₹ | 8 | ધ | ξ | ७(३*६) | ८(५*७) |
| १ | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग अ | ४२ | In-class | २००० | ४१४ | १७३८८ | ३.४७७६ |
| २ | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग अ | ३० | In-class | २००० | ३७३ | १११९० | २.२३८ |
| 3 | पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण | १२ | | 2000 | | | |
| | संवर्ग अ | | In-class | | ५५३ | ६६३६ | १.३२७२ |
| 8 | उजळणी प्रशिक्षण संवर्ग अ | ц | In-class | २००० | ३०२ | १५१० | 0.307 |
| ч | उद्बोधन प्रशिक्षण | 3 | In-class | २००० | 268 | ८८२ | ०.१७६४ |
| ६ | उद्बोधन प्रशिक्षण | १ | In-class | ६०० | १९५ | १९५ | ०.०११७ |
| 9 | प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण | 7 | In-class | २००० | 38 | ६८ | ०.०१३६ |
| एकूण | A | | | | २१६५ | ३७८६९ | ७.५४६५ |
| | विभागस्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३) | | | | | | |
| १ | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग ब | ४२ | In-class | १५०० | २२८ | ९५७६ | १.४३६४ |
| 7 | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग अ | ३० | In-class | १५०० | ३८४ | ११५२० | १.७२८० |
| 3 | उजळणी प्रशिक्षण संवर्ग ब | ц | In-class | १५०० | ५२३ | २६१५ | ०.३९२२५ |
| 8 | पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण | १२ | | १५०० | | | |
| | संवर्ग ब | | In-class | | ११९६ | १४३५२ | २.१५२८ |
| ц | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग क | १२ | In-class | १५०० | ४३९२ | ५२७०४ | ७.९०५६ |
| ६ | उजळणी प्रशिक्षण संवर्ग क | ц | In-class | १५०० | २२९४ | ११४७० | १.७२०५ |
| 9 | उजळणी प्रशिक्षण संवर्ग क | ц | Online | ७५० | 38 | १५५ | ०.०११६२५ |
| ۷ | पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण | ०६ | | १५०० | | | |
| | संवर्ग क | | In-class | | १०२२ | ६१३२ | ०.९१९८ |
| 9 | पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण | १२ | | १५०० | | | |
| | संवर्ग क | | In-class | | २११ | २५३२ | ०.३७९८ |
| एकूण | | | | | १०२८१ | १११०५६ | १६.६४६७७५ |
| С | जिल्हास्तरीय प्र | ाशासकीय प्र | शिक्षण कार्य | क्रम (१ एप्रि | ल २०२२ ते इ | ११ मार्च २०२ | (\$) |
| १ | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग ड | ξ | In-class | १००० | ११५४ | ६९२४ | ०.६९२४ |
| 7 | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग क | १२ | In-class | १००० | ३७ | ४४४ | ०.०४४४ |
| 3 | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग ड | १२ | In-class | १००० | ८३ | ९९६ | ०.०९९६ |
| ४ | उजळणी प्रशिक्षण संवर्ग ड | 3 | In-class | १००० | <i>3</i> ११४ | ९३४२ | ०.९३४२ |
| ц | उद्बोधन प्रशिक्षण संवर्ग ड | १ | In-class | ६०० | १०५९९ | १०५९९ | ०.६३५९४ |
| एकूण C | | | | | १४९८७ | २८३०५ | २.४०६५४ |
| एकूण | (A+B+C) | | | | २७४३३ | १७७२३० | २६.५९९८१५ |

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या प्रिशक्षण खर्चाचा एकूण रु.२६.५९९८१५ कोटी इतक्या निधीपैकी रु.२२.२७९६ कोटी इतका निधी यशदा पुणे, विभागीय तसेच जिल्हास्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात वितरीत करण्यात आला आहे. तरी, सदर आर्थिक वर्षाच्या प्रशिक्षण खर्चाचा उर्वरित रु.४.३२०१९ कोटी इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च (२०७० ०८५३) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवरून यशदा, पुणे यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

याकरिता होणारा **रु.४.३२०१९ कोटी (अक्षरी रुपये चार कोटी, बत्तीस लाख, एक हजार, नऊरो फक्त)** इतका खर्च "मागणी क्र. ए-४, २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा ०० - ००३ - प्रशिक्षण ०० - १० - राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च (२०७० ०८५३) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात येईल.

सदर निधी बिम्स प्रणालीवर वितरित करण्यासाठी सहसचिव/उपसचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (A ००१७) हे नियंत्रक अधिकारी आहेत. सदर निधी यशदा, पुणे स्तरावर आहरीत तसेच नियंत्रित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्र. यशदा-२०१३/प्र.क्र.९०/१३/१२-अ, दि.१५.०२.२०१४ नुसार प्राध्यापक तथा वित्तीय सल्लागार, यशदा यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच लेखाधिकारी, यशदा (२२०१०००१२) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

सदरहू मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची संबंधित कोषागारातून काढण्यात आलेली रक्कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करून घ्यावी तसेच खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.

यशदा, पुणे या संस्थेने उपरोक्त अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करून देईल.

यशदा, पुणे या संस्थेने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ६ येथील शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ७ मध्ये नमूद केल्यानुसार देयक कोषागार अधिकारी यांना सादर करताना संस्थेचे मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) देयकासोबत जोडण्यात यावे.

सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ८८/का.१४४३, दि.१४/०२/२०२४ तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. १४४/व्यय ४, दि. ०६/०३/२०२४ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने तसेच सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१८१५५१२८७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(स्मिता जोशी) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई
- २. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे.
- ३. उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे,
- ४. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे,

- ५. लेखा अधिकारी, यशदा, पुणे.
- ६. अवर सचिव, नियोजन विभाग, १४४३, मंत्रालय, मुंबई -३२
- ७. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२
- ८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५
- ९. संचालक / प्राचार्य, सर्व विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था,
- १०.अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२,
- ११. निवड नस्ती, कार्यासन-१२-अ.